न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/210

1. रामजीलाल पुत्र श्री मंगलराम जाति सोमवंशी निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2. महेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद जाति खण्डेलवाल निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

–अपीलांट

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) अलवर जिला अलवर।
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर राज0।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिलाधीश महोदय अलवर दिनांक 11.06.93 जिसके द्वारा अपीलाण्टान की कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 1158 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नं. 1159 रकबा 3 बिस्वा किस्म चारागाह वाके कस्वा लक्ष्मणगढ को पीडब्लूडी रेस्ट हाउस के लिए बेजा तौर पर आवण्टन की गई।

उपस्थित–

1. श्री राजाराम चौधरी वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–28.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर अलवर राजस्थानके निर्णय दिनांक 11.06.93 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष ग्राम लक्ष्मणगढ के खसरा नं. 1158 रकबा 15 बीस्वा व खसरा नं. 1159 रकबा 03 बिस्वा चारागाह भूमि रेस्ट हाउस के लिए प्रस्तावित करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा उक्त चारागाह भूमि को पी0डब्लू0डी0 रेस्ट हाउस के लिए आरक्षित किये जाने के आदेश दिनांक 11.06.93 को दिये गये।

3. जिला कलक्टर अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 11.06.93 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स रामजीलाल पुत्र श्री मंगलराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर अलवर दिनांक 11.06.93 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम लक्ष्मणगढ के खसरा नं. 1158 रकबा 15 बीस्वा व खसरा नं. 1159 रकबा 03 बिस्वा से लगते हुये अपीलांट्स की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1157, 1160 एवं 1156 स्थित है तथा विवादित आराजी मौके पर हमारी उपरोक्त खातेदारी की आराजी में मिली हुई है और हम अपीलांट विवादित आराजी पर करीब 50 वर्षों से काबिज होकर काश्त चले आ रहे हैं तथा हमारी खातेदारी की आराजी को आने–जाने तथा कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर लाने–जाने हेतु इसी विवादित आराजी में होकर जाते हैं। विवादित आराजी रेस्ट हाउस के लिए आरक्षित की गई है जिससे हम अपीलांट की आराजी में आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा तथा बंध की मोरियों के पानी का रास्ता भी रूक जावेगा और पानी खेतों में भर जावेगा जिससे रास्ता अवरूद्ध होगा व हमारे खेत बरबाद हो जावेंगें। अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत सादिर की गई है जो कानून के विपरित है जबकि चारागाह जमीन को बिना किस्म परितवर्तन किए एवं राज्य सरकार की स्वीकृति कि बिना आवंटित नही की जा सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर अलवर दिनांक 11.06.93 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष ग्राम लक्ष्मणगढ के खसरा नं. 1158 रकबा 15 बीस्वा व खसरा नं. 1159 रकबा 03 बिस्वा चारागाह भूमि रेस्ट हाउस के लिए प्रस्तावित करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा उक्त चारागाह भूमि को विधिवत् पी0डब्लू0डी0रेस्ट हाउस के लिए आरक्षित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 19.02.94 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा

पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट्स विवादित आराजी के समीपस्थ आराजी के काबिज रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा प्रश्नगत चारागाह भूमि आराजीग्राम लक्ष्मणगढ के खसरा नं. 1158 रकबा 15 बीस्वा व खसरा नं. 1159 रकबा 03 बिस्वा के संबंध में तहसीलदार लक्ष्मणगढके प्रस्ताव के आधार पर ही उक्त भूमि पी0डब्लू0डी0 रेस्ट हाउस के लिए आरक्षित किये जाने के विधिअनुरूप अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के अनापत्ति के उपरान्त ही विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.93 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर